



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220206
CG-DL-E-26062020-220206

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1848]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2020/आषाढ 5, 1942

No. 1848]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2020/ASADHA 5, 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 2089(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. राजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर, शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, बिहार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना का सदस्य नामित करती है और उस उद्देश्य के लिए का.आ. 1824(अ) दिनांक 10 जून, 2020 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. जेड-28016/177/2019- पीएमएसएसवाई-IV दिनांक 18 मई, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उपरोक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

“12. डॉ. राजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर, शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, बिहार”

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा.सं. जेड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 2089(E).—In exercise of powers conferred by Clause (f) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **Dr. Rajiva Kumar Singh, Professor, Department of Physiology, Patna Medical College, Bihar**, to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Patna** and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/177/2019-PMSSY-IV dated the 18th May, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide SO 1824 (E) dated the 10th June, 2020:

In the said notification, for serial number 12 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

“12. Dr. Rajiva Kumar Singh, Professor, Department of Physiology, Patna Medical College, Bihar”

The term of the office of the member shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/177/2019-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.